पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–14] रुड़की, शनिवार, दिनांक 04 मई, 2013 ई0 (बैशाख 14, 1935 शक सम्वत्) [संख्या–18

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	171–176	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	161–162	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	27–30	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

विधान सभा सचिवालय, उत्तराखण्ड

(अधिष्ठान अनुभाग)

अधिसूचना/प्रकीर्ण

12 अप्रैल, 2013 ई0

संख्या 465/वि0स0/423/अधि0/2011–मैं, गोविन्द सिंह कुन्जवाल, अध्यक्ष, विधान सभा उत्तराखण्ड, इस सचिवालय की पूर्व निर्गत अधिसूचना/प्रकीर्ण संख्या 1293/वि0स0/423 अधि0/2011, दिनांक 15 मार्च, 2011 के क्रम में विधान सभा सचिवालय में मौलिक रूप से नियुक्त के इतर समस्त संविदा एवं तदर्थ रूप से सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अथवा पदोन्नति द्वारा नियुक्त कर्मचारिवृन्द की सेवाओं के विनियमितीकरण हेतु निम्नवत् एक चयन समिति का गठन करता हूँ:–

1. श्री विष्णु चक्र थपलियाल, अपर सचिव,
2. श्री जगदीश चन्द्र, अपर सचिव (वित्त),
3. श्री भुवन चन्द्र, अनुसचिव (लेखा)।

(क) यह समिति उत्तराखण्ड राज्य गठन के पश्चात् विधान सभा सचिवालय में वर्षानुवर्ष सृजित एवं उपलब्ध विभिन्न संवर्गों के अनुसचिव स्तर तक के पदों के सापेक्ष संविदा एवं तदर्थ रूप से सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अथवा पदोन्नति द्वारा नियुक्त कर्मचारिवृन्द के सम्बन्धित पदों पर की गयी संतोषजनक सेवाओं, कार्य, आचरण एवं व्यवहार को दृष्टिगत रखते हुए विनियमितीकरण के सम्बन्ध में संस्तुति करेगी।

(ख) यह समिति कर्मचारिवृन्द के मध्य ज्येष्ठता का निर्धारण प्रथम नियुक्ति के पद पर योगदान की तिथि से करेगी।

(ग) समिति शासन द्वारा समय–समय पर सेवाओं में विभिन्न संवर्गों हेतु आरक्षण सम्बन्धी निर्गत शासनादेशों के आलोक में विनियमितीकरण हेतु संस्तुतियां करेगी।

(घ) यह समिति एक सप्ताह की अवधि में अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत करेगी।

ह0/–

गोविन्द सिंह कुन्जवाल,
अध्यक्ष,
विधान सभा उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

डी0 पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव।

(अधिष्ठान अनुभाग)

शुद्धि–पत्र

01 अप्रैल, 2013 ई0

संख्या 388/वि0स0/25/अधि0/2001–इस सचिवालय की विज्ञप्ति/नियुक्ति आदेश संख्याः 371/वि0स0/25/अधि0/2001, दिनांक 21 मार्च, 2013 द्वारा जनसम्पर्क अधिकारी के निःसंवर्गीय पद पर तदर्थ रूप से नियुक्त श्री ईश्वरी प्रसाद मैखुरी के स्थान पर उनका नाम श्री ईश्वरी दत्त मैखुरी पढ़ा जाय।

उक्त आदेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

ह0/–

डी0 पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव।

(अधिष्ठान अनुभाग)

विज्ञप्ति

15 अप्रैल, 2013 ई0

संख्या 477/वि0स0/475/अधि0/2013—श्री ईश्वरी दत्त मैखुरी, तदर्थ जन सम्पर्क अधिकारी, विधान सभा सचिवालय, उत्तराखण्ड का स्वेच्छा से दिया गया त्याग—पत्र दिनांक 01—04—2013 सम्यक् विचारोपरान्त एतद्द्वारा दिनांक 01—04—2013 से स्वीकार किया गया।

डी0 पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग—1

विज्ञप्ति/प्रोन्नति

15 अप्रैल, 2013 ई0

संख्या 519/X—1—2013—4(23)/2009—डॉ0 धनंजय मोहन (भा0व0से0—1988), वैज्ञानिक—एफ भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून (केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर) को उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग—1 के शासनादेश संख्या—268/X—1—2013—4(23)/2009, दिनांक 01—02—2013 के क्रम में Indian Forest Service (Pay) Rules, 2007 के नियम—6(7) के अन्तर्गत मुख्य वन संरक्षक, वेतनमान ₹ 37,400—67,000 एवं ग्रेड ₹ 10,000 के पद पर उनके कनिष्ठ अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि दिनांक 02—02—2013 में प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

एस0 रामास्वामी,
प्रमुख सचिव।

श्रम एवं सेवायोजन विभाग

विज्ञप्ति/प्रोन्नति

26 अप्रैल, 2013 ई0

संख्या 564(1)/VIII/13—56(श्रम)/2001—सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार के पत्र संख्या 84/11/डी0पी0सी0/सेवा—1/2012—13, दि0 26—04—2013 द्वारा की गई संस्तुति के आधार तात्कालिक प्रभाव से श्री प्रकाश चंद्र सती, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, खटीमा को सहायक श्रम आयुक्त वेतनमान ₹ 15600—39100 ग्रेड वेतन ₹ 5400 में रिक्त पद पर अस्थाई रूप से प्रोन्नत करते हुए वर्तमान पदस्थ स्थान पर ही तैनात किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

डॉ0 रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव।

सामान्य प्रशासन विभाग

विज्ञप्ति/विविध

22 मार्च, 2013 ई0

संख्या 250/XXXi(13)/G/2008—37(1)2012—सन् 2013 ई0 (शक सम्वत् 1934—35) के वर्ष में उत्तराखण्ड प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने विषयक विज्ञप्ति संख्या 4134/XXXi(13)G/08—37(1)2012 दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 में निगोशियेबल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट 1881(1881 का एक्ट संख्या—26) की धारा—25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों का प्रयोग करते हुये, जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या—20/5—56—पब—2, दिनांक 08 जून, 1957 के अनुसार राज्य सरकार प्रयोग में ला सकती है, के तहत, उक्त घोषित अवकाश सूची के अनुलग्नक—4 के क्रमांक—15 में घोषित अवकाश 'वाणिज्यिक बैंकों की अर्द्ध—वार्षिक लेखा—बन्दी' दिनांक 30 सितम्बर, 2013, 08 आश्विन, 1935, दिन—सोमवार को Denotify करते हुए उक्त दिवस को सभी बैंकों में सामान्य कार्यदिवस किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त विज्ञप्ति इस सीमा तक संशोधित समझी जाये, अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

विज्ञप्ति / विविध

05 अप्रैल, 2013 ई0

संख्या 1127 / XXXI(13)/G / 2013–112(सा0)2012–श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश के राजकीय कार्यालयों में प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार को घोषित राजकीय अवकाश से कोषागारों एवं उपकोषागारों को आच्छादित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

सुरेन्द्र सिंह रावत,
सचिव।

संख्या 1682 / XXIV-3/12/02(77)12

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2– निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून, दिनांक 19 मार्च, 2013

विषय : बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (मुफ्त साईकिल) योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः, विविध / 38613 / साईकिल योजना / 2012–13, दिनांक 03 सितम्बर, 2012 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राज्य में बालिका शिक्षा को पूर्णतः प्रोत्साहन दिये जाने के उपरान्त भी कई क्षेत्रों में बालिकाओं को विद्यालय न भेजने की समस्या विद्यमान होने एवं वर्तमान में राज्य में महिला साक्षरता दर पुरूष साक्षरता दर से अपेक्षाकृत कम होने व बालिकाओं का माध्यमिक कक्षाओं में नामांकन बढ़ाने के उद्देश्य से सम्यक् विचारोपरान्त कक्षा–9 में प्रवेश पाने वाली अध्ययनरत् सभी बालिकाओं को आगामी शिक्षा सत्र से मुफ्त साईकिल दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में राज्य के शासकीय विद्यालयों में संचालित 'सरस्वती योजना' को समाप्त करते हुए इन विद्यालयों में उक्त के स्थान पर कक्षा–8 उत्तीर्ण करने के उपरान्त कक्षा–9 में प्रवेश पाने वाली सभी समस्त वर्ग की बालिकाओं के लिए निम्नांकित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन ''मुफ्त साईकिल योजना'' आगामी शैक्षणिक सत्र से प्रारम्भ किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(i) उक्त प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत कक्षा–9 में अध्ययनरत् मैदानी क्षेत्रों की बालिकाओं को अनिवार्य रूप से मुफ्त साईकिल सुविधा एवं पर्वतीय क्षेत्रों की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत पर्वतीय क्षेत्रों में कक्षा–9 में अध्ययनरत् बालिकाओं को साईकिल के क्रय मूल्य के समतुल्य धनराशि की एन0एस0सी0/बैंक एफ0डी0/डाकघर एफ0डी0 लेने का विकल्प रहेगा जिसके अन्तर्गत साईकिल की लागत के बराबर की धनराशि सावधि जमा के रूप में दी जायेगी। सावधि जमा धनराशि के मामले सम्बन्धित विद्यालय के समीपवर्ती राष्ट्रीयकृत/सहकारी/ग्रामीण बैंकों तथा डाकघरों में व्यवहरित किये जायेंगे।

(ii) बालिकाओं के ऐसे सावधि जमा (एफ0डी0) प्रमाण–पत्र का नकदीकरण सम्बन्धित बालिका के 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त ही देय होगी।

(iii) योजना का लाभ प्राप्त करने के बाद यदि किसी छात्रा द्वारा शालात्याग कर दिया जाता है तो ऐसी दशा में यथास्थिति साईकिल की लागत की धनराशि/सावधि जमा धनराशि विभाग को वापस कर शासकीय कोष में जमा कर दी जायेगी।

(iv) इस योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली साईकिलों का क्रय विभाग द्वारा नहीं किया जायेगा बल्कि मात्र एक उच्च गुणवत्ता वाली (ISI मार्क) बालिका साईकिल का मानक मूल्य निर्धारित किया जाएगा तथा ऐसा मानक मूल्य निर्धारण उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 को दृष्टिगत रखते हुए किया जायेगा एवं इस सम्बन्ध में निर्माताओं की विक्रय लागत तथा सर्वेक्षण आधार पर निर्माताओं की थोक मूल्य सूची को भी इस हेतु ध्यान में रख कर औचित्य स्पष्ट किया जायेगा।

इस प्रकार मानक मूल्य का निर्धारण महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड द्वारा किया जायेगा। पात्र छात्रा द्वारा अपने लिए साईकिल स्वयं क्रय की जायेगी, ऐसे क्रय के प्रमाण हेतु कैश मैमों प्रस्तुत किया जायेगा एवं साईकिल का निरीक्षण सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा किया जायेगा। निर्धारित मानक मूल्य या वास्तविक कीमत जो भी कम हो, का भुगतान छात्रा को एकाउण्ट पैई–चैक के आधार पर किया जायेगा। साईकिल का निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य की साईकिल क्रय करने पर मानक निर्धारित मूल्य से अधिक धनराशि का वहन छात्रा द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा मानक निर्धारित मूल्य से कम मूल्य की साईकिल क्रय करने पर मानक मूल्य की निर्धारित अवशेष धनराशि छात्रा को भुगतान नहीं की जायेगी।

(v) विभाग द्वारा छात्राओं की उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा योजना का लाभ प्राप्त करने के उपरान्त शालात्याग करने की दशा में साईकिल की लागत/सावधि जमा धनराशि की वापसी सुनिश्चित करने की सुचारू व्यवस्था की जायेगी।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 267/(X)/XXVII(3)/2012-13 दिनांक 15 मार्च, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

आज्ञा से,

मनीषा पंवार,
सचिव।

चिकित्सा अनुभाग–2

अधिसूचना

प्रोन्नति

21 मार्च, 2013 ई0

संख्या 233/XXVIII–2/01(04)2013–उत्तराखण्ड दन्त शल्यक सेवा संवर्ग के अन्तर्गत संयुक्त निदेशक वेतनमान वेतन बैण्ड–4 ₹ 37400–67000 ग्रेड वेतन ₹ 8700 के पद पर कार्यरत डा0 जे0डी0एस0 राणा को नियमित चयनोपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अपर निदेशक, वेतनमान वेतन बैण्ड–4, ₹ 37400–67000 ग्रेड वेतन ₹ 8900 के पद पर पदोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

पियूष सिंह,
अपर सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 18 हिन्दी गजट/311–भाग 1–2013 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 04 मई, 2013 ई0 (बैशाख 14, 1935 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

April 16, 2013

No. 74 UHC/XIV/19/Admin.A/2008--Ms. Geeta Chauhan, Civil Judge (Sr. Div.), Champawat is hereby sanctioned earned leave for 12 days *w.e.f.* 22.03.2013 to 02.04.2013.

NOTIFICATION

April 16, 2013

No. 75 UHC/XIV/82/Admin.A/2003--Smt. Pritu Sharma, 1st Additional Chief Judicial Magistrate, Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 15 days *w.e.f.* 06.03.2013 to 20.03.2013.

NOTIFICATION

April 16, 2013

No. 76 UHC/XIV/64/Admin.A--Ms. Sujata Singh, Additional District & Sessions Judge, Roorkee, District Hardwar is hereby sanctioned earned leave for 15 days *w.e.f.* 11.03.2013 to 25.03.2013 with permission to prefix 09.03.2013 & 10.03.2013 as 2nd Saturday & Sunday holidays and to suffix 26.03.2013 & 27.03.2013 as Holi holiday.

NOTIFICATION

April 16, 2013

No. 77 UHC/XIV/61/Admin.A--Sri Subir Kumar, 5th Additional District & Sessions Judge, Hardwar is hereby sanctioned medical leave for 15 days *w.e.f.* 14.03.2013 to 28.03.2013.

NOTIFICATION

April 22, 2013

No. 78 UHC/XIV-a-38/Admin.A/2011--Sri Ram Lal, the then Special Judicial Magistrate Kashipur, District, Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 10 days *w.e.f.* 18.02.2013 to 27.02.2013.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 18 हिन्दी गजट/311–भाग 1–क–2013 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 04 मई, 2013 ई0 (बैशाख 14, 1935 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मैं, मदन उपाध्याय पुत्र स्व0 श्री राम नारायण उपाध्याय निवासी–71/23 बिहारी लाल मार्ग, नेशविला रोड़, देहरादून का नाम समस्त शैक्षिक अभिलेखों में मदन लाल शर्मा अंकित है तथा पिता का नाम राम नारायण शर्मा अंकित है जिसको भविष्य में मदन उपाध्याय पुत्र स्व0 श्री रामनारायण उपाध्याय पढ़ा, लिखा व माना जाये।

मदन उपाध्याय,
पुत्र स्व0 श्री रामनारायण उपाध्याय,
निवासी–71/23, बिहारी लाल मार्ग,
नेशविला रोड़,
जिला–देहरादून।

सूचना

मैं, श्रीमती मधु उपाध्याय पत्नी श्री मदन उपाध्याय निवासी–71/23 चौधरी बिहारी लाल मार्ग, नेशविला रोड़, देहरादून का नाम मेरे से सम्बन्धित दस्तावेजों में श्रीमती मधु शर्मा पत्नी श्री मदन उपाध्याय अंकित है जिसको भविष्य में उपरोक्त नाम श्रीमती मधु उपाध्याय पत्नी श्री मदन उपाध्याय पढ़ा, लिखा व माना जाये।

मधु उपाध्याय,
पत्नी श्री मदन उपाध्याय,
निवासी–71/23, चौधरी बिहारी लाल
मार्ग, नेशविला रोड़, देहरादून।

कार्यालय नगर निगम हल्द्वानी, काठगोदाम

उपविधि

नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम के सीमान्तर्गत धारा 541 के अन्तर्गत मार्गों, सड़कों, नाली, नालों में कूड़ा, करकट, कचरा, मलवा आदि को विनियमित एवं नियंत्रण हेतु बनाई गई उपविधियाँ।

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार एवं प्रारम्भ–

(1) यह उपविधि सफाई/स्वच्छता विनियमित एवं नियंत्रण उपविधि कहलायेगी।

(2) यह उपविधि नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम सीमान्तर्गत प्रवृत होगी।

(3) यह उपविधि उत्तराखण्ड राज्य के शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथी से प्रभावी होगी।

2. परिभाषाएं–

विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में–

1. शासन से तात्पर्य उत्तराखण्ड शासन से है।

2. अधिनियम से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 एवं उत्तराखण्ड राज्य द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित प्रभावी अधिनियम से है।

3. मुख्य नगर अधिकारी से तात्पर्य शासन/निर्देशालय शहरी विकास अथवा जिलाधिकारी द्वारा नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम में तैनात मुख्य नगर अधिकारी से है।

4. मेयर से तात्पर्य नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम के निर्वाचित मेयर से है।

5. प्रशासक से तात्पर्य शासन द्वारा अतिक्रमित अवधि में नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम में नियुक्त प्रशासक से है।

6. मुख्य सफाई एवं खाद्य निरीक्षक एवं सफाई एवं खाद्य निरीक्षकों का तात्पर्य शासन/निदेशालय शहरी विकास अथवा मण्डलायुक्त अथवा जिलाधिकारी द्वारा नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम में तैनात सफाई निरीक्षकों से है।

7. सफाई कर्मचारी से तात्पर्य क्षेत्रवार सफाई के पर्यवेक्षण हेतु क्षेत्रवार तैनात सफाई कर्मचारी से है।

8. सफाई नायक से तात्पर्य क्षेत्रवार सफाई के पर्यवेक्षण हेतु तैनात सफाई नायक से है।

9. कार्यपालक मजिस्ट्रेट से तात्पर्य जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल के अधीन उनके आदेश से नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम के क्षेत्रान्तर्गत सफाई पर्यवेक्षण एवं अर्थ दण्ड वसूली हेतु समय–समय पर तैनात किये गये कार्यकारी मजिस्ट्रेट से है।

10. हल्द्वानी सिटी वार्डन से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों/विद्यार्थियों से है जिनको जिलाधिकारी अपने विवेक से नामित करेंगे परन्तु ऐसे व्यक्ति/विद्यार्थी सिटी वार्डन नामित होने के योग्य नहीं होंगे जो किसी राजनैतिक दल से किसी भी प्रकार से सम्बन्धित हों या उनके विरुद्ध किसी भी स्तर का कोई भी आपराधिक मामला कभी दर्ज हुआ है।

परन्तुक–इस प्रकार नामित सिटी वार्डन को कोई वेतन या भत्ता आदि देय नहीं होगा और न ही वह भविष्य में किसी प्रकार का कोई क्लेम उक्त के लिए कर सकेंगे तथा यह पद नितान्त अस्थायी होगा व जिलाधिकारी कभी भी किसी सिटी वार्डन को उसके पद से बिना पूर्व सूचना के हटा सकते हैं।

11. कन्टेनर से तात्पर्य नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम द्वारा सीमान्तर्गत नियत स्थानों पर रखे गये डस्टबिन जिनमें कूड़ा करकट डालने हेतु रखे गये से है।

12. हाईड्रोलिक वाहन से तात्पर्य नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम के उस वाहन से है जो कूड़ा करकट से भरा कन्टेनर निस्तारण हेतु ले जाता है और निस्तारण उपरान्त पुनः नियत स्थान पर रखता है।

13. ऐसे शब्दों एवं पदों को जिन्हें इस उपविधि में परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु उपविधि में प्रयुक्त है, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उसके लिए दिये गये हैं।

3. प्रतिषेध–

1. कोई भी व्यक्ति नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम की सीमान्तर्गत इस उपविधि के उपबन्धों के अधीन समस्त सार्वजनिक स्थलों, सार्वजनिक मार्गों, नाले, नालियों तथा कॉलोनियों, रिक्त प्लाटों/नहरों में किसी प्रकार का कूड़ा करकट, मलवा तथा किसी भी प्रकार की गन्दगी आदि नहीं डालेगा और ना ही इस प्रकार की गन्दगी डाल कर किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न करेगा।

2. नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम सीमान्तर्गत कोई भी भूमि अथवा भवन स्वामी/अध्यासी अथवा कोई भी व्यवसायी कूड़ा–करकट, बिष्ठा, मलवा आदि किसी भी सार्वजनिक स्थलों, सार्वजनिक मार्गों पर अथवा उसके किनारे नाले नालियों पर अथवा कॉलोनियों पर नहीं फेंकेगा ना ही एकत्र करेगा। नगर निगम के द्वारा रखे गये कन्टेनर के अन्दर कूड़ा–करकट डालना होगा तथा डोर–टू–डोर कूड़ा क्लैशन करने वाले वाहन/संस्था को देना होगा तथा किसी भी प्रकार का घरेलू मलवा नगर निगम की सीमा से बाहर भूमि अथवा भवन स्वामी को अपने व्यय पर फेंकना होगा।

3. कन्टेनर से बाहर कूड़ा–करकट डालने वाले व्यक्ति तथा सार्वजनिक स्थलों, सार्वजनिक मार्गों तथा नाले–नालियों में कूड़ा–करकट या गन्दगी डालने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध मुख्य सफाई निरीक्षक, सफाई निरीक्षक, सफाई नायक, सफाई नायक की रिपोर्ट प्राप्त होने पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी/उप नगर अधिकारी/सहायक नगर अधिकारी/मुख्य नगर अधिकारी को उस व्यक्ति से नियमानुसार मौके पर ₹ 500 तक अर्थ दण्ड वसूलने का अधिकार होगा जो नगर निगम हल्द्वानी की निधि में जमा किया जायेगा।

4. कूड़ा कन्टेनर नियम स्थान से हाईड्रोलिक वाहन द्वारा प्रत्येक दिवस निस्तारित किया जायेगा। जिसका निरीक्षण प्रत्येक दिवस सफाई निरीक्षक द्वारा किया जायेगा।

5. नगर निगम हल्द्वानी सीमान्तर्गत इन उपविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित हल्द्वानी सिटी वार्डनों का सहयोग लिया जायेगा। नगरीय क्षेत्र सार्वजनिक स्थलों जैसे सड़कें, गलियां, नाले, पार्कों, कॉलोनियाँ भी सम्मिलित हैं, में कूड़ा–करकट या गन्दगी डालते हुए पाये जाने पर ऐसे सिटी वार्डनों को ऐसे व्यक्ति से ₹ 500 (पाँच रुपये मात्र) अर्थ दण्ड मौके पर ही वसूलने का अधिकार होगा जिसकी रसीद वह अपने हस्ताक्षरों से निर्गत कर सकेगा। यदि मौके पर कोई व्यक्ति ₹ 500 अर्थ दण्ड देने से इन्कार करता है तो उसके विरुद्ध चालान कर ₹ 2000 तक अर्थ दण्ड और निरन्तर उल्लंघन की दशा में अतिरिक्त जुर्माना जो प्रथम दोष सिद्ध होने की तिथि के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिवस के लिए जिससे यह साबित हो जाये कि अपराधी ने अपराध जारी रखा है, ₹ 25 प्रति दिन तक हो सकता है।

परन्तुक–सिटी वार्डनों द्वारा मौके पर वसूले गये अर्थ दण्ड का उपयोग निगम द्वारा नगर के सौन्दर्यीकरण/रख रखाव में व्यय किया जायेगा।

इस उपविधि में दिये गये अपराध किसी भी प्रकार से शर्मनीय नहीं होंगे।

शास्ति

अधिनियम की धारा 541 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके नगर निगम हल्द्वानी एतद्द्वारा निर्देश देती है। किस उपविधि में दिये गये किसी भी प्राविधान के उल्लंघन होने पर जुर्माना जो ₹ 2000 (दो हजार रुपये मात्र) तक हो सकता है और निरन्तर उल्लंघन की दशा में अतिरिक्त जुर्माना जो प्रथम दोष सिद्ध होने की तिथि के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिवस के लिए जिससे यह साबित हो जाय कि अपराधी ने अपराध जारी रखा है, अंकन ₹ 25 (पच्चीस रुपया) प्रतिदिन तक हो सकता है।

उपरोक्त उपविधियों महोदय के अवलोकनार्थ एवं स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

प्रशासक,

नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 18 हिन्दी गजट/311–भाग 8–2013 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।